

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
पीठारीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 103 / 2026

- 1 धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 चेताराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 हरिभगत पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादीगण

वनाम

- 1 चुकी पुत्री सुरजाराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 2 क्विता पुत्री सुरजाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी 2 के.के. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
- 3 गिरदावरी पुत्री सुरजाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 4जी, छोटी सहारणा वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 4 लक्ष्मी पुत्री सुरजाराम पत्नी मुखराम जाति जाट निवासी चक 4जी, छोटी सहारणा वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 5 शारदा पुत्री सुरजाराम पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी चक 4जी, छोटी सहारणा वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण

दिनांक 30/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व प्रतिवादी वकील विकास शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक न० 1 एस.आर. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 21/22 में अंकित कुल 5.819 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण प्रत्येक के नाम से अंकित 194/17457 हिस्सा भूमि के तथा स्व. केशर के नाम से अंकित 194/17457 हिस्सा भूमि के वादीगण को ब०हि०व० का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व उक्त चक में से प्रतिवादीगण व स्व० केशर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबन्दी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।  
टिब्बी